BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE, KOLKATA

I.A. NO. 40 OF 2025
IN
APPEAL NO. 3 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAS MOHAN THAKUR …APPELLANT

VERSUS

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (SEAC), BIHAR & ORS

…RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	AN APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS WITH AFFIDAVIT	**582-585**
2.	**ANNEXURE A-1 (COLLY)** Copies of extensions and work orders evidencing the mining activities conducted both before and after the issuance of the DSR	**586-603**

Filed By:

[SUMIT KUMAR SHARMA]
ADVOCATE
COUNSELS FOR THE APPELLANT
10, 2nd Floor, Babar Lane, Bengali Market,
New Delhi-110001
M. No. 9560462030

Place: New Delhi
Filed on: 24.03.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE, KOLKATA

I.A. NO. OF 2025
IN
APPEAL NO. 3 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAS MOHAN THAKUR …APPELLANT

VERSUS

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (SEAC), BIHAR & ORS …RESPONDENTS

AN APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present appeal is being filed under Section 16(h) of the National Green Tribunal Act, 2010, against the Common Environmental Clearance (EC) dated 17.01.2025 granted by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Bihar, in favor of Respondent No. 6, Mr. Sandeep Chandak, in respect of three Sand Mining Project Units-II (Sand Blocks 3, 4, & 5) on the Cheer River, District Banka, Bihar, covering an area of 67 hectares.

2. That the impugned EC has been granted in complete violation of the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM), 2020, which mandates prior replenishment studies before the grant of EC. The Hon'ble Supreme Court as well as this Hon'ble Tribunal has consistently held in various judgments that a replenishment study is a prerequisite for sand mining projects. The failure

to conduct such a study renders the EC illegal and unsustainable in law.

3. That it is respectfully submitted that the District Survey Report (DSR) was prepared in December 2021 and published in May 2022. It is clearly mentioned in the said DSR at Pg. Nos. 313–314 that the replenishment study was conducted during the year 2018–2019 and the excavation plans for the sand ghats were prepared based on that outdated data. Therefore, the SEIAA has relied on an unverified and outdated study, prepared on assumptions rather than actual field verification.

4. That it is also relevant to mention that prior to the issuance of the DSR as well as after its publication, full-fledged mining activities were ongoing on the Cheer River, where the present sand blocks are situated. The absence of a fresh replenishment study before granting EC violates mandatory legal and scientific requirements. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) guidelines of 2016 and 2020 clearly mandate that only replenished sand can be mined. Granting EC without updated data would cause irreversible environmental degradation, including riverbed depletion, biodiversity loss, flood risks, and habitat destruction, in contravention of the judgment in Deepak Kumar v. State of Haryana.

5. That the appellant has recently obtained certain crucial documents, including copies of extensions and work orders evidencing the mining activities conducted both before and after the issuance of the DSR, which were not available at the time of filing the appeal. These documents go to the root

of the matter and establish the absence of a proper replenishment study. Copies of extensions and work orders evidencing the mining activities conducted both before and after the issuance of the DSR are annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-1 (COLLY)** [Page Nos. 586 to 603].

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated above, the appellant most respectfully prays that this Hon’ble Tribunal may be pleased to:

(a) Permit the appellant to file the additional documents as mentioned and annexed with this application;

(b) Pass such other and further orders as may be deemed just and proper in the interest of justice and environmental protection.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS THE APPELLANT AS IN DUTY BOUND SHALL EVER PRAY.

Filed By:

[SUMIT KUMAR SHARMA]
ADVOCATE
COUNSELS FOR THE APPELLANT
10, 2nd Floor, Babar Lane, Bengali Market,
New Delhi-110001
M. No. 9560462030

Place: New Delhi
Filed on: 24.03.2025

WELFARE STAMP ₹ 25 बिहार BIHAR BRECR027C250200027740 11 Feb 2025

585

Sl No. 261
Date 13/02/25

BIHAR COURT FEE 10 BRECR027C250200036673 13 Feb 2025

NOTARY

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE, KOLKATA

APPEAL NO. OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAS MOHAN THAKUR ...APPELLANT

VERSUS

STATE ENVIRONMENTAL APPRIASAL COMMITTEE (SEAC), BIHAR & ORS ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Ras Mohan Thakur, S/o Sh. Narendra Mohan Thakur, Resident of Village Panjwara, District Banka, Bihar-813110, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the appellant in the present appeal and I am well conversant with the facts and proceedings of the case and as such, I am competent to swear the present affidavit.

2. I say that the accompanying application for additional document has been drafted by my Advocate under my instructions. I say that I have perused the same and state that the contents of the application are true and correct to the best of my knowledge and as per the legal advice rendered.

NOTARY GOVT. OF BIHAR (India)

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Banka on this the 24th day of March, 2025 that the contents of the above affidavit are true to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Shri/Smt. Ras Mohan Thakur who is/are Identified by Shri/Smt. Subodh Kr. Mishra Advocate Banka Solemnly Affirmed declare before me

Rajendra Kumar Jha
Notary Public(Banka)
Reg.No -367J/19

DEPONENT

ANNEXURE A-1 (COLLY)

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0– 02/एम0 एम0 (बा0)–32/19–..................../एम0, पटना, दिनांक–..................

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,**भा0प्रा0से0**
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

विषयः– पंचांग वर्ष 2015–19 के लिए संचालित बालू घाटों की बंदोबस्ती के अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना सं0–4948/एम0, दिनांक–27.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–4948/एम0, दिनांक–27.12.2019 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77(2) के तहत दिनांक–31.12.2019 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को दिनांक– 31.10.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरण स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि–विस्तार पंचांग वर्ष 2019 के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है। तदालोक में पंचांग वर्ष 2019 की बंदोबस्ती राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए माह अक्टूबर 2020 तक 10 माह की समानुपातिक राशि को 4 समान किस्तो में बन्दोबस्तधारियों से निम्नवत् प्राप्त किया जाना हैः–

(i) प्रथम किस्त – 31.12.2019 तक अथवा (कार्यादेश निर्गत के पूर्व)
(ii) द्वितीय किस्त – 31.01.2020 के पूर्व
(iii) तृतीय किस्त – 29.02.2020 के पूर्व
(iv) चतुर्थ किस्त – 20.03.2020 के पूर्व

2. बंदोबस्ती अवधि के विस्तार के क्रम में यह आवश्यक है कि विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्तधारी से निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा भी करा लिया जाए। साथ ही बंदोबस्तधारी से देय किस्त के साथ अन्य मदों में नियमानुसार DMF, GST, INCOME TAX इत्यादि हेतु भुगतेय राशि भी प्राप्त कर लिया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

पत्रांकः–../एम0, पटना, दिनांकः–..

प्रतिलिपिः–सभी उपनिदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

पत्रांकः–......4949......../एम0, पटना, दिनांकः–...27/12/19.......

प्रतिलिपिः–विभागीय PMU/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 27/12/19
विशेष सचिव–सह–निदेशक

D/sanjay/Alokji/Sand Draft

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 14/9/2020

02 / एम0एम0–(बा0)–35 / 20–2646**/ एम0** बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77 (2) के तहत दिनांक 31.10.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि विस्तार को कोविड–19 के कारण बालूघाट संचालन बंद रहने तथा नव बंदोबस्त बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्बता के कारण दिनांक 31.12.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि विस्तार गत वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02 / एम0एम0–(बा0)–35 / 20–2646 / एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02 / एम0एम0–(बा0)–35 / 20–2646 / एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02 / एम0एम0–(बा0)–35 / 20–2646 / एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–35/20–2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–35/20–2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.09.2020 की बैठक में मद संख्या–12 के विरूद्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–35/20–2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–35/20–2646/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृष्ण
14/9/2020

14/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०– 2–एम0एम0 (बा0)–35 / 20–....................... / एम०, पटना, दिनांक–........................

प्रेषक,

अरूण प्रकाश, भा0प्र0से0
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पटना / भोजपुर / सारण / नवादा / अरवल / बाँका / बेतिया / मधेपुरा / किशनगंज / रोहतास / औरंगाबाद / गया / वैशाली / बक्सर।

विषयः– अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या–2646, दिनांक–14.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–2646 / एम0, दिनांक–14.09.2020 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77 (2) के तहत दिनांक–31.10.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि विस्तार को कोविड–19 के कारण बालूघाट संचालन बंद रहने तथा नव बंदोबस्त बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्बता के कारण दिनांक–31.12.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि विस्तार गत वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है। तद्‌लोक में पंचांग वर्ष 2019 की बंदोबस्ती राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए माह नम्वम्बर–दिसम्बर, 2020 तक दो माह की समानुपातिक राशि (कोविड–19 के कारण 43 दिनों तक बालूघाटों के संचालन बंद रहने की स्थिति में बंद अवधि की राशि समायोजित करते हुए) को 30 सितम्बर, 2020 तक प्राप्त किया जाय।

2. बंदोबस्ती अवधि के विस्तार के क्रम में यह आवश्यक है कि विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्तधारी से निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा भी करा लिया जाए। साथ ही बंदोबस्तधारी से देय किस्त के साथ अन्य मदों में नियमानुसार DMF, Applicable GST, INCOME TAX इत्यादि हेतु भुगतेय राशि भी प्राप्त कर लिया जाए।

विश्वासभाजन
ह0 / –
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–...................... /एम0, पटना, दिनांक–.....................

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित उपनिदेशक/सभी संबंधित सहायक निदेशक/सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–2721...... /एम0, पटना, दिनांक–21/9/2020

प्रतिलिपिः–विभागीय PMU/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

विशेष सचिव–सह–निदेशक

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 605) पटना, सोमवार, 21 सितम्बर 2020

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
14 सितम्बर 2020

सं० 02/एम0एम0–(बा0)–35/20–2646/एम0—बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77 (2) के तहत दिनांक 31.10.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि विस्तार को कोविड–19 के कारण बालूघाट संचालन बंद रहने तथा नव बंदोबस्त बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्बता के कारण दिनांक 31.12.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि विस्तार गत वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 605-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 1003) पटना, वृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर 2020

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
30 दिसम्बर 2020

सं0 02/एम0एम0–(बा0)–53/20–3435/एम0––बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत् दिनांक–31.12.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को दिनांक 31.03.2021 तक अवधि–विस्तार पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1003-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–02/एम0एम0 (बा0)–53/20–............................/एम0, पटना, दिनांक............................

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पटना/भोजपुर/सारण/नवादा/अरवल/बाँका/बेतिया/
मधेपुरा/किशनगंज/रोहतास/औरंगाबाद/गया/वैशाली/बक्सर।

विषयः– अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या–3435 दिनांक 30.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में आप अवगत हैं कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत् दिनांक–31.12.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को दिनांक–31.03.2021 तक अवधि–विस्तार पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है। तदालोक में पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए माह मार्च, 2021 तक 03 माह की समानुपातिक राशि को 03 समान किस्तों में बंदोबस्तधारियों से निम्नवत् प्राप्त किया जाना हैः–

(i) प्रथम किस्त – 31.12.2020 तक अथवा कार्यादेश निर्गत के पूर्व
(ii) द्वितीय किस्त – 31.01.2021 के पूर्व
(iii) तृतीय किस्त – 28.02.2021 के पूर्व

बंदोबस्ती अवधि के विस्तार के क्रम में यह आवश्यक है कि विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्तधारी से निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा भी करा लिया जाए। साथ ही बंदोबस्तधारी से देय किस्त के साथ अन्य मदों में नियमानुसार DMF, Applicable GST, INCOME TAX इत्यादि हेतु भुगतेय राशि भी प्राप्त कर लिया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–../एम0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित उपनिदेशक/सभी संबंधित सहायक निदेशक/सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–......3436................./एम0, पटना, दिनांक ....30/12/2020....

प्रतिलिपिः–विभागीय पी0एम0यू0/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/2020

सरकार के अवर सचिव

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 251) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अप्रील 2021

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० 02/एम0एम0–(बा0)–53/20/986–**एम0**/दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77 (2) के तहत दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 251-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 850) पटना, सोमवार, 4 अक्तूबर 2021

खान एवं भुतत्व विभाग

अधिसूचना
1 अक्तूबर 2021

सं0 **02/एम0एम0-(बा0)-53/20-3043/एम0**——वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक राज्य के आठ जिले यथा-नवादा, अरवल, बाँका, बेतिया, वैशाली, किशनगंज, मधेपुरा एवं बक्सर, जिनमें पुराने बालू बंदोबस्तधारी कार्यरत हैं, की बंदोबस्ती अवधि को विस्तारित करने तथा पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिलों में हस्तान्तरित पर्यावरण स्वीकृति के आलोक में बालू घाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम के द्वारा खुली निविदा से चयनित संवेदकों द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हरजोत कौर बम्हरा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 850-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक ..151........./ पटना

दिनांक ..15/01/2022

प्रेषित,

M/s MAIHAR DEVELOPERS

PARTNER- ANIL KUMAR SINGH, S/O LATE SHALIGRAM SINGH, FLAT NO-902A ,VASUNDHARA GARDEN,BARIATU,MORABADI,RANCHI,JHARKHAND-834009.

9110116028 , maihardevelopers123@gmail.com

विषय:- BANKA जिलान्तर्गत CHEER/ SUKHANIYA नदी के कलस्टर संख्या 01 बालूघाट का नाम PAIR GHAT, SABALPUR GHAT, SABALPUR GHAT, PANJWARA ROAD NEAR KACHMCHIYA & SARBA GHAT ,WILL BE UPDATED LATER के संचालन के लिए ई-नीलामी द्वारा संवेदक के चयन हेतु दिनांक 15-Jan-2022 को सम्पन्न हुई ई--नीलामी में डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप प्रतिभूति राशि, देय किस्त, DMF की राशि, आयकर की राशि,GST एकरारनामा विलेख एवं शपथ-पत्र जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना द्वारा BANKA जिला के CHEER/ SUKHANIYA नदी के कलस्टर संख्या 01 बालूघाट का नाम PAIR GHAT, SABALPUR GHAT, SABALPUR GHAT, PANJWARA ROAD NEAR KACHMCHIYA & SARBA GHAT , WILL BE UPDATED LATER के संचालन के लिए ई-नीलामी के संवेदक के चयन हेतु ई-प्रोक्यायरमेंट पोर्टल पर दिनांक 15-Jan-2022 अर्थात को सम्पन्न हुई ई-नीलामी में आपके द्वारा कलस्टर/ बालूघाट के लिए निर्धारित सुरक्षित जमा राशि 38521142.00 के विरूद्ध उच्चतम डाक की राशि 41021142.00 को लगाई गयी है। निविदा दस्तावेज की कंडिका 7(2)(3) , 10(1) एवं 14 (1)(2) के आलोक में नीलामी की तिथि से चार कार्यदिवस के अंदर अर्थात 19-Jan-2022 निम्नलिखित राशि एवं कागजात जमा किया जाना है-

1. उच्चतम डाक की राशि (समानुपातिक) का 25 प्रतिशत यथा कुल -5347858.50 रूपया प्रतिभूति राशि के रूप में (जमा समायोजनोंपरांत) निगम के खाता में RTGS/Online जमा करना ।

2. प्रथम किस्त (नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 50 प्रतिशत) यथा कुल 8564854.00 रूपया निगम के खाता में RTGS/Online जमा करना अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निगम में जमा करना ।

3. द्वितीय किस्त के रूप में नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का शेष 50 प्रतिशत की राशि यथा कुल 8564854.00 रूपया का पोस्ट डेटेड चेक नीचे दिये गए खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना (द्वितीय किस्त के रूप में 31.01.2022 को निगम के खातें में भुगतान हेतु)।

4. जिला खनिज फाउन्डेशन के मद में नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 02 प्रतिशत राशि यथा कुल 342594.16 रूपया संबंधित जिला फाउण्डेशन मद में संबंधित जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार निगम में जमा करना।

5. आयकर एवं अन्य करों के मद में आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिनियम भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर 2.06% पर (नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 2.06%) यथा कुल 352871.98 रूपया बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना में जमा करना।

6. नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) पर देय GST राशि पर 18% यथा कुल 3083347.44 रूपया बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में भुगतान करना ।

7. विहित प्रपत्र में एकरारनामा विलेख (अनुबंध डीड) संबंधित नियम अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र में प्रचलित अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 6% राशि का यथा कुल 1027782.48 रूपया स्टाम्प शुल्क के साथ निष्पादन हेतु जमा करना। निष्पादित एकरारनामा विलेख (संविदा) का निबंधन 15 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा।

8. बालूघाट के लिए निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अनुमोदित खनन योजना में निहित शर्तों का अनुपालन का संबंधित शपथ-पत्र ।
अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि RTGS/Online के माध्यम से बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना के निम्नलिखित खाता में एवं वांछित बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित कागजात दिनांक 19-Jan-2022 जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा निविदा दस्तावेज की कंडिका 8 (2) के अंतर्गत आपके द्वारा जमा अग्रधन (Earnest Money) राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आपको राज्यान्तर्गत आगामी पाँच वर्षो के लिए ई-नीलामी में भाग लेने से वंचित कर काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9. संवेदक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निर्देश/आदेश इत्यादि IT-ACT के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायगा ।

खाता का विवरण :-
बैंक का नाम : - ICICI Bank
शाखा :- Dujra
पता : Shreeraj Complex,117 A, Dujra, Near Pantaloons,Boaring Canal Road, Patna
खाताधारक का नाम :- बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
खाता संख्या:- 413505000530
IFSC Code : ICIC0004135
MICR : 800229025

Anil
15-01-22

प्राधिकृत पदाधिकारी
बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड
15/01/2022 **बिहार, पटना**

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक ..1226......../ पटना दिनांक 9.5.22

प्रेषित,

Raghav Chandak

Raghav Chandak Sh. Ashok Chandak 203, G Block Sirganga Nagar, Rajasthan-335001 Gmail-Raghavchandak205@gmail.com

विषय:- BANKA जिलान्तर्गत CHEER, SUKHNIYA RIVER नदी के कलस्टर संख्या 01 बालूघाट का नाम PAIR, SABALPUR,SABALPUR,PANJWARA,SARBA SAND GHAT के संचालन के लिए ई-नीलामी द्वारा संवेदक के चयन हेतु दिनांक 07-May-2022 को सम्पन्न हुई ई-नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने एवं देय राशि तथा वांछित कागजात जमा करने के फलस्वरूप उक्त कलस्टर / बालूघाट के संचालन के लिए उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में स्वीकृत्यादेश / कार्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना द्वारा BANKA जिला के अंतर्गत CHEER, SUKHNIYA RIVER नदी के स्वीकृत कलस्टर संख्या 01 बालूघाट का नाम PAIR, SABALPUR,SABALPUR,PANJWARA,SARBA SAND GHAT के संचालन के लिए ई-नीलामी के माध्यम से संवेदक के चयन करने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में तकनीकी रूप से चयनित निविदादाताओं की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-नीलामी दिनांक 07-May-2022 को सम्पन्न हुई जिसमें आपके द्वारा उच्चतम डाक की राशि 43521142.00 रूपया की बोली लगायी गई। निविदा दस्तावेज की कंडिका 7(2)(3), 10(1),14(1)(2) के आलोक मे नीलामी के **चार कार्य दिवसों के अंदर** आपके द्वारा उच्चतम डाक के समानुपातिक राशि यथा प्रतिभूति राशि (जमा अग्रधन समायोजनोंपरांत), प्रथम किस्त की राशि, द्वितीय किस्त का पोस्टडेटेड चेक, देय डी0एम0एफ की राशि, देय आयकर की राशि, देय जी0एस0टी० की राशि, एकरारनामा विलेख एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन करने से संबंधी वांछित शपथ पत्र जमा किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 7(6) के आलोक में BANKA जिलान्तर्गत CHEER, SUKHNIYA RIVER नदी के कलस्टर संख्या 01 बालूघाट का नाम PAIR, SABALPUR,SABALPUR,PANJWARA,SARBA SAND GHAT के संचालन हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत्यादेश / कार्यादेश निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है :-

1. **बालूघाट का नाम :- BANKA जिलान्तर्गत CHEER, SUKHNIYA RIVER नदी के कलस्टर संख्या 01 का PAIR, SABALPUR,SABALPUR,PANJWARA,SARBA SAND GHAT बालूघाट**
2. **रकवा :- 19.69 हेक्टेयर**
3. **अवधि :- माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील सं० 3661-3662/2020 मे दिनांक 10.11.2021 तथा i.A No. 43428/2022 मे पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश या दिनांक 31.05. 2022, जो भी पहले हो, तक होगी ।**

Ath

4. नीलामी की (समानुपातिक) अनुबंधित राशि :- 5978179.00

5. प्रतिभूति राशि :- प्रतिभूति राशि एकरारनामा की अवधि या कार्य समाप्ति के पश्चात् अधिरोपित हुए दण्ड का बकाया नहीं रहने के स्थिति में बकाया का समायोजन के पश्चात ही वापस की जा सकेगी ।

6. भुगतान की शर्तें:- नीलामी की अनुबंधित राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में निम्न प्रकार से किया गया है:-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख/भुगतान की स्थिति
नीलामी की अनुबंधित राशि का 100%	ई-नीलामी की तिथि से चार कार्य दिवस के अन्दर ।

* अगर संवेदक अनुबंधित राशि का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा अग्रधन/प्रतिभूति को जप्त कर लिया जाएगा तथा निगम द्वारा राज्य के किसी भी जिले के लघु खनिज के नीलामी के लिए अयोग्य घोषित करते हुए निगम में उनके निबंधन को रद्द कर काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा |

7. जी०एस०टी० का भुगतान :- संवेदक / ठेकदारो द्वारा नीलामी की अनुबंधित राशि पर किशतवार देय जी०एस०टी० के रूप में राशि बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को भुगतान किया गया है।

8. आयकर एवं अन्य करों का भुगतान :-संवेदक / ठेकेदार द्वारा आयकर अधिनियम के तहत नीलामी की अनुबंधित राशि पर किशतवार देय आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार किया गया है।

9. जिला खनिज फाउन्डेशन :- सफल डाकवक्ता द्वारा नीलामी की अनुबंधित राशि का 02 प्रतिशत राशि संबंधित जिला खनिज फाउण्डेशन मद में संबंधित जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार निगम में जमा किया गया है।

10. अनुबंध विलेख (डीड) निष्पादन करना:- सफल डाकवकता द्वारा निर्धारित अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रचलित स्टाम्प शुल्क के साथ एकरारनामा विलेख निष्पादन हेतु जमा किया गया है। संवेदक / ठेकेदार को निष्पादित एकरारनामा विलेख(डीड) का निबंधन 07 दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

11. बालू का विक्रय मूल्य:- अंतिम उपयोगकर्त्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। बालू बिक्री के क्रम में कालाबाजारी का साक्ष्य प्राप्त होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

12. आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के शुल्क का भुगतान :- संवेदक / ठेकेदार को सभी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई एवं आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने में निगम द्वारा व्यय की गई राशि का भुगतान करना होगा।

13. बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः- बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें ।

14. बालू खनन की अधिकतम गहराई:- नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित अंतराल (मासिक / त्रेमासिक) पर समतलीकरण करना होगा। जिन-जिन बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति का अवधि विस्तार SEIAA द्वारा किया गया है | वैसे बालूघाटों के लिए खनन की अधिकत्तम गहराई 1 मीटर होगी |

15 पर्यावरणीय अनापत्ति:- संवेदक को पर्यावरणीय स्वीकृति / पर्यावरण मार्गदर्शिका में उल्लेखित शर्तों एवं बंधेजों का पालन अनिवार्य होगा। संवेदक द्वारा शपथ पत्र भरकर (जिसमें E.C. की सभी शर्तों / बंधेज उल्लेखित हो)

Atte

जमा रहेगा। उल्लंघन के स्थिति में अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर कार्यादेश प्रतिसंहृत करते हुए नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई किया जायेगा।

16. ऑनलाईन बालू पोर्टल- संवेदक/ठेकेदार सभी उपभोक्ताओं को बालू का विक्रय ऑनलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/ भुगतान, उत्खनन / उत्पादन / परिवहन का ब्यौरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा,से नियंत्रित किया जाएगा और संवेदक ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

17. बालू का परिवहन:- बालू ढोने वाले सभी वाहनों (निबंधित नाव सहित) को बालू के परिवहन के लिए विभाग में निबंधित कराना होगा। सभी निबंधित वाहनों को जी0पी0एस0 (जो विभागीय पी0एम0यू0 से सम्बद्ध हो सके) लगाना होगा जिसका विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

18. बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई-चालान साथ रखेगें|

19. डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार:- नदी का प्रवाह, बाँधों की सुरक्षा तथा Geo-तकनीक (Geo-Technic) एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है।

20. बालू-परिवहन विनियमित करने की शक्ति:- बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा | यदि बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा। धर्मकाँटा संवेदक को लगाना होगा या निगम द्वारा लगवाने पर प्रति वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान संवेदक को करना होगा।

21. भराई का अध्ययन :- मॉनसून के पूर्व एवं उसके पश्चात् नदी तल में बालू की मात्रा की भराई अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन निगम द्वारा अद्यतन उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थानों/ एजेंसियो के माध्यम से करवाया जाएगा। खनन कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार हो रहा है या नहीं, की जाँच ड्रोन सर्वे से कराई जा सकती है। निगम द्वारा अध्ययन / ड्रोन सर्वे क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन / ड्रोन सर्वे का खर्च संबंधित संवेदक / ठेकेदार से वसूल किया जाएगा |

22. जल संसाधन विभाग से अनापत्ति :- किसी बालू घाट से बालू उठाने की दशा में यदि कोई प्राकृतिक जलमार्ग / सिंचाई नहर लिंक रोड और बालूघाट के बीच पड़ती हो तो संवेदक / ठेकेदार जल संसाधन विभाग की अनुमति प्राप्त कर ही बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचना का निर्माण कर सकेगा।

23. शास्ति:-निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्त एवं बंधेजों के उल्लंघन के लिए निगम द्वारा अधिरोपित दंड का भुगतान संवेदक / ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में जमा राशि जप्त करते हुए कार्यदेश को प्रतिसंहृत (revoke) कर दिया जाएगा।

24. संवेदक का दायित्व :- निविदा पत्र में वर्णित अन्य दायित्वों के अतिरिक्त निम्न दायित्वों का निर्वहन भी करना आवश्यक होगा | ;

(i) खनन कार्य आरंभ करने से पूर्व बालू घाट के नदी तल का Pre-Level तथा नदी के किनारे बेंचमार्क बनाकर फोटोग्राफ एवं संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे ।

(ii) संवेदक/ठेकेदार को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑन लाईन ई-चालान(परिवहन चालान) निर्गत

करना होगा।

(iii) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी | संवेदक / ठेकेदार विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित करेगा। जाँच के दौरान यदि पंजी अद्यतन नहीं पायी जाती है तो खनन एवं प्रेषण पंजी अद्यतन होने तक के लिए बंद कर दिया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं होगा |

(iv) संवेदक/ ठेकेदार नदी तल से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी (निगम) का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, संवेदक का नाम, पता, दूरभाष,बालूधाट का पूर्ण विवरण एवं बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(v) संवेदक /ठेकेदार श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा |

(vi) संवेदक / ठेकेदार संबंधित क्षेत्रों का अनुश्रवण करेगा तथा स्वयं / अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का संचालन करेगा | बालूघाटों / नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण संवेदक / ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर स्वयं किया जाएगा।

(vii) कार्यादेश निर्गत के पूर्व नीलाम किये गये बालूघाट / क्लस्टर के बालू निक्षेप की सुरक्षा की के जिम्मेदारी संवेदक/ ठेकेदार की होगी एवं किसी प्रकार के अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर संवेदक / ठेकेदार की संलिप्तता मानी ज़ाएगी एवं वे नियमानुसार दण्ड के भागी होगें।

(viii) दो जिलों/ बालूघाट/क्लस्टर के बीच किसी सीमा विवाद की दशा में, उससे संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय संवेदक / ठेकेदारों को मान्य होगा।

(ix) संवेदक/ ठेकेदार द्वारा पर्यावरण से संबंधित वर्ष 2016 /2020 के सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शन / मार्गदर्शिका / पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त्तो के अनुरूप खनन कार्य करेगा।

(x) महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नही लिया जायेगा |

(xi) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढ़ककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

(xii) संवेदक ठेकेदार को धर्मकॉटा की स्थापना या धर्मकॉटा से सम्बद्ध (Tag) आवश्यकतानुसार निगम के निदेश पर करना होगा एवं इस संबंध में निगम द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(xiii) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(xiv) संवेदक / ठेकेदार वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नही टपके |

(xv) खनन की गई बालू की 25 प्रतिशत मात्रा राज्य के विभिन्न जिलों के निगम द्वारा चिन्हित k-लाईसेंसी को देना अनिवार्य होगा, यदि उनकी मांग है तो। निगम द्वारा बंधेज परिवर्तित किया जा सकता है।

(xvi) बालूघाट / क्लस्टर का संवेदक / ठेकेदार खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित, 2021 के सुसंगत प्रावधानों तथा उसमें किये गये संशोधनों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का

अनुपालन करेगा | संवेदक / ठेकेदार पर यह भी बाध्यकारी होगा कि अन्य सुसंगत अनिधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करेगें।

(xvii) संवेदक / ठेकेदार बालूघाट / क्लस्टर क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए पूर्णतया जिम्मेवार होगें और पाई गई किसी शिकायत, यदि कोई हो, पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा संवेदक / ठेकेदार के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर अपराधिक मामला भी दायर किया जा सकता है।

(xviii) संवेदक / ठेकेदार बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।

(xix) उपर्युक्त शर्त्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में पृच्छा निर्गत कर अनुबंध रदद करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(xx) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन धारा सरकार के हित में सुनवाई का मौका देकर तर्कसंगत आदेश पारित करते हुये निविदा एवं बालूघाट / कलस्टर के संचालन को रद्द करने का अधिकार होगा।

(xxi) संवेदक ठेकेदार को खनन राजस्व/ जी0एस0टी0 / आयकर / स्टाम्प शुल्क / रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ससमय नहीं करने की दशा में बकाए का भुगतान करने तक के लिए प्रेषण बंद कर दिया जाएगा। इस क्रम में बालू का खनन/ प्रेषण नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को या सरकार को हुए क्षति की भरपायी संवेदकों से की जाएगी ।

(xxii) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश-देशांतर (Longitude & Latitude) के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट / क्लस्टर क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन मार्गों, जल संसाधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलोक में अपने स्तर से निरीक्षण कर पूर्ण रुप से संतुष्ट हो लिए हैं । इस आशय का शपथ पत्र/ घोषणा पत्र (निविदा का अनुलग्नक-4) आपके द्वारा जमा किया गया है। बालूघाटों / क्लस्टर की विवरणी निविदा का उनुलग्नक-2 के अनुसार होगी। नीलामी के पश्चात किसी प्रकार का कोई आपत्ति / दावा स्वीकार नहीं किया जाना है ।

(xxiii) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल थाना, मौजा, खाता. खेसरा, रकबा तथा GPS Coordinates के संबंध में विवाद / त्रुटि पाए जाने पर संशोधन संबंधित जिला खनन कार्यालय की जाँच एवं अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय मान्य होगा। बालूधाटों / कलस्टर का सीमांकन GPS Coordinates के अनुसार बालू संवेदक / ठेकेदार को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना संवेदक / ठेकेदार की जवाबदेही होगी, जिसके लिए निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी / RQP की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा ।

(xxiv) बालू संवेदक / ठेकेदार को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधों पर निर्मित प्रतिबंधित मार्ग प्रवेश निषेध होगा ।

(xxv) बालूघाट में रैयती / बंदोबस्त जमीन होने पर संवेदक / ठेकेदार द्वारा रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा।

(xxvi) संवेदक / ठेकेदार द्वारा केवल GPS युक्त वाहन जिसका Integration विभागीय PMU के चालन System से करा लिया गया है, के द्वारा ही बालू का प्रेषण करेंगे।

(xxvii) प्रबंध निदेशक, BSMC द्वारा पूर्ण / आंशिक किसी बालूघाट / क्लस्टर के लिये निर्गत लाईसेंस को बिना कारण बताये कभी भी स्थगित / रद्द करने का अधिकार होगा।

(xxviii) स्वीकृतादेश / कार्यादेश दिनांक 31.05.2022 तक या माननीय उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए मान्य होगा ।

25. संवेदक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निर्देश/आदेश इत्यादि IT-ACT के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायगा ।

Abdullah Hussain 9/5/22
प्राधिकृत पदाधिकारी
बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1226 दिनांक 9.5.22

प्रतिलिपि- समाहर्ता / खनिज विकास पदाधिकारी **BANKA** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Abdullah Hussain 9/5/22
प्राधिकृत पदाधिकारी
बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1226 दिनांक 9.5.22

प्रतिलिपि- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ।

Abdullah Hussain 9/5/22
प्राधिकृत पदाधिकारी
बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड
बिहार, पटना

Bihar State Mining Corporation Ltd.

(Government of Bihar Undertaking)
Room No.164, Vikas Bhawan (New Secretariat), Bailey Road, Patna - 800015
CIN:-U10300BR2017SGC035811
Email:bih.minescorp@gmail.com

पत्रांकः पटना, दिनांक

प्रेषक,

महाप्रबंधक
बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय, बांका

विषयः— विस्तारित अवधि के लिए संचालन की अनुमति प्राप्त बालूघाटों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या—3661—3662/2020 में दिनांक—26.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक—01.10.2022 से 25.12.2022 तक निगम के माध्यम से बालूघाटों की संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

क्रमांक	जिला नाम	कलस्टर सं0	संवेदक का नाम	बालूघाट का नाम	घाट चालू करने की तिथि
1	बांका	01	राघव चाण्डक	Pair,Sabalpur, Sabalpur-1, Panjabara & Sarba	01.10.2022
2	बांका	05	महादेव इन्क्लेव प्रा0लि0	Govindpur, Lakhnouri	01.10.2022
3	बांका	07	महादेव इन्क्लेव प्रा0लि0	Jitrawarpur, Godhiya, Saran Ghodyiya, Kunani Jogi Pahari	01.10.2022

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/—
महाप्रबंधक
बिहार स्टेट माईनिंग कॉ0लि0

ज्ञापांक—../ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपिः—उपरोक्त तालिक में अंकित संवेदको को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
महाप्रबंधक
बिहार स्टेट माईनिंग कॉ0लि0

ज्ञापांक—../ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपिः—पी0 एम0 यू0 प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
महाप्रबंधक
बिहार स्टेट माईनिंग कॉ0लि0

ज्ञापांक—08/912 57/22/ 2281 पटना, दिनांक— 30/9/22
प्रतिलिपिः—निदेशानुसार जिला पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/2022

महाप्रबंधक
बिहार स्टेट माईनिंग कॉ0लि0

(TRUE COPY)